pressed by the Congress Members standing up.

श्री मधु लिमये : सदन की खुशी का सवाल ही नहीं है। यह नियम के विपरीत है। वह पेश ही नहीं हुआ है।

MR. SPEAKER: He had moved it.

So, it is withdrawn by leave of the House.

The motion was, by leave, withdrawn

11.48 hrs.

DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): I beg to move for leave to intrduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act. 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax, 1958 and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters".

The motion was adopted

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I introduce† the Bill.

11.44 hrs.

Re. FLOODS IN SOME STATES

अध्यक्ष महोदय : कुछ मेम्बर्ज गुजरात के फ्लड्ज के बारे में कल-परसों मेरे पास कुछ मोशन्ज ले कर आये थे। मैंने उन को एडमिट नहीं किया। लेकिन मै आप लोगों की इजाजत से गुजरात के तीन चार मेम्बरों को दो दो, तीन तीन मिनट इस बारे में कहने के लिए देना चाहता हूं। मैं राजस्थान के मेम्बरों को भी मौका दे दूंगा। जो मेम्बर मेरे पास आये थे, मैंने उन को इजाजत दी है। लेकिन डिसकशन के लिए टाइम नहीं है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैंने भी रूल 377 के मातहत नोटिस दिया है कि एल०आई०सी० ने कई हजार स्क्वेयर फीट जमीन ट्रेडर्ज को प्रैक्टिकली फ्री दे दी है। मुझे भी इजाजत दी जाये।

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बाकायदा नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन नहीं आ सकेगा। जिन सदस्यों ने कहा है कि उन को दो दो, तीन तीन मिनट का मौका दिया जाये मै उन को इजाजत दे दूंगा।

SHRI P. M MEHTA (Bhavnagar) : With your permission, I would make a submission on the Narmada floods....

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए टाइम फिक्स कर दिया जायेगा। तब आप अपनी बात कह लें।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : उस के बारे में मिनिस्टर साहब ने कहा है....

श्री मधु लिमये : आप मंत्री महोदय का जवाब पढ़िये। वह गलतबयानी कर रहे हैं।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2. dated 3rd September, 1973.

†Introduced with the recommendation of the President.

1820 LS—3